



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940

No. 837]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 968(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 19 मार्च, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) को प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394 (अ) तारीख 12 मार्च, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में :-

- (i) उप पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्: -
"4. लोहा और इस्पात - तेल समतुल्य का 20,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष और अधिक।"
- (ii) उप पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"9. लुगदी और कागज - तेल समतुल्य के 20,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष और अधिक।"
- (iii) उप पैरा 12 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"12. वाणिज्यिक भवन या स्थापन (होटल) - वाणिज्यिक भवनों या स्थापनों के अधीन पैसे होटलों की यूनितों की खपत प्रतिवर्ष 500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और इससे अधिक है।"

[फा.सं.10/2/2017-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणः—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. 394 (अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3542 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2015 तथा का.आ. 1388 (अ), तारीख 2 मई, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2019

S.O. 968(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

In the said notification, in paragraph 4, -

- (i) for sub-paragraph 4, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -
“4. Iron and Steel – 20,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.”;
- (ii) for sub-paragraph 9, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -
“9. Pulp and Paper - 20,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.”;
- (iii) for sub-paragraph 12, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -
“12. Commercial buildings or establishments (Hotels) - Units of such hotels under commercial buildings or establishments having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent per year and above.”.

[F.No. 10/2/2017-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 394(E), dated the 19th March, 2007 and subsequently amended vide notification number S.O. 3542 (E), dated the 30th December, 2015 and number S.O. 1388(E), dated the 2nd May, 2017.